कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, टोंक (राज.)

मिसल संख्या :— 294 / 2022 निर्णय दिनांक :— 23/8/2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :—

रमजानी खां पुत्र शमसू खां जाति पटवा मुसलमान उम्र बालिग निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0

प्रार्थी पक्ष—

बनाम

तहसीलदार देवली जिला—टोंक (राज.)

—अप्रार्थी पक्ष—

उपस्थित :—

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार
देवली

प्रार्थना—पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी **खाता संख्या 559 ख0नं0 1869 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 2735 रकबा 0.20 है0** वाके ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला—टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। खसरा नम्बर 2735 किस्म गै0मु0 रास्ता होने से आंशिक भाग उपयोग होना बनाया है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है व पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद है परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार सीमा विवाद नहीं है।

अतः जमाबंदी सम्वत् 2075—78 में दर्ज आराजी **खाता संख्या 559 ख0नं0 1869 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 2735 रकबा 0.20 है0** वाके ग्राम पनवाड की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु सम्बंधित तहसीलदार को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/— निर्धारित की जाकर एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
देवली